केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067
******

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/25/00083
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/25/00119
अपीलकर्ता श्री ए. आर. खान

[redacted]

| | |
|---|---|
| आर.टी.आई. आवेदन की तिथि | 17.02.2025 |
| संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 25.02.2025 |
| आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि | 03.03.2025 |
| प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी | श्री एस. अनंथारामन CPIO, (DR to IC VT) |
| प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि | 18.03.2025 |
| प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि | 21.03.2025 |
| निर्णय की तारीख | 16.04.2025 |

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 17.02.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

1.) प्रार्थी के सलग्न प्रार्थनापत्र पर कि गई कार्यवाही एवं डायरी संख्या के संबंध में पूर्ण सूचना प्रदान करें।

2.) प्रार्थी के सलग्न प्रार्थनापत्र को न्यायोचित जाँच/कार्यवाही हेतु जिस अधिकारी को अग्रेषित किया गया है, उनके नाम, पद, मोबाइल एवं कार्यालय के संबंध में सूचना प्रदान करें।

3.) प्रार्थी के सल्गन प्रार्थनापत्र पर की गई कार्यवाही की रिपोर्ट (Action taken Report) की सत्यापित सहित प्रदान करें।

4.) प्रार्थी को RTI एवं प्रथम अपील लगाने के बावजूद प्रार्थी को सूचना न देकर RTI ACT 2005 का उल्लंघन करने वाले जनसूचना अधिकारी के विरुद्ध SECTION 20 (1) OF THE RTI ACT के तहत PENALTY लगाने में देरी के कारण के संबंध में पूर्ण सूचना प्रदान करें।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस. अनंथारामन केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी ने पत्र दिनांकित 03.03.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"Point 1.) – No action was taken No action was warranted on your petition dated 03.01.2025 as the Respondent had provided a reply vide their letter No. File No. FDDI/ROHTAK/223/ADMIN/RTI/2023-2024, ROHTAK – ADMIN dated 30.10.2023 in compliance of Commission's order dated 29.08.2024.

Point 2.) – No such information is available.

Point 3.) – No such document is available.

Point 4.) – The information sought does not fall in the purview of Section 2 (f) and Section 2(j) of the RTI Act, 2005."

3. प्रथम अपील का आधार

"महोदय तीन में से 2 एवं 3 नंबर बिंदु पर सूचना देने के स्थान पर CIC के CPIO द्वारा सूचना प्रदान करने के स्थान पर केवल एक ही जवाब दिया गया है कि – NO SUCH INFORMATION IS AVAILABLE एवं महोदय आवेदक सूचना प्रदान करने के स्थान पर सूचना देने से बचने हेतु NO SUCH INFORMATION IS AVAILABLE जैसे जवाब की आशा किसी सरकारी विभाग के भ्रष्ट लापरवाह एवं RTI ACT 2005 को मजाक समझने वाले जनसूचना अधिकारी से मिलने पर तो अश्चर्यचक्ति एवं हताश हो गया है। क्योंकि RTI ACT 2005 का उद्देशय सरकार को जनता के प्रति जवाबदेह एवं सरकार के कार्यों में पारदर्शिता लाना है महोदय क्या आपको लगता है कि, CIC के CPIO से NO SUCH INFORMATION IS AVAILABLE जैसा गोल मोल जवाब CIC की छवि /आत्मा TRANSPARENCY AND ACCOUNTABILITY अतः पर प्रश्नचिन्ह लगाने के समान नहीं है ?

अतः आपसे विनम्र आग्रह है कि, कृपा CPIO को निर्देश दे की वह इस पर प्रकाश डाले कि बिंदु संख्या 2 एवं 3 के विषय में RTI आवेदक द्वारा मांगी गई सूचना उपलब्ध क्यों नहीं है।

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन CICOM/R/P/25/00119 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। आर.टी.आई अधिनियम, 2005 की धारा 2 (च) के अनुसार, केवल वही जानकारी जो सार्वजनिक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है, मौजूदा है या अंतर्गत है, वही जानकारी केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की जा सकती है। केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी से ऐसी जानकारी बनाने, एकत्र करने या व्याख्या करने की अपेक्षा नहीं की जाती है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक 16.04.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

O/C

C. I. C./के० सू० आ०
RECEIVED
22 APR 2025
D. No. ..........
Initials..........